न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीणा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
55 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	29.06.2021	18.11.2022

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री चेतन कुमार जैन पुत्र श्री टीकम चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स राहुल डिपार्टमेन्टल स्टोर दामोदर गौशाला के सामने जमात रोड निवाई जिला टोंक राज. निवासी जैन नसियां के सामने गणगौरी बाजार निवाई जिला टोंक

2—श्री कमलेश कुमार मित्तल पुत्र श्री भैरूलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री गणपति फ्लोर मील ग्राम झिलाई तह. निवाई जिला टोंक निवासी ग्राम झिलाई तह. निवाई जिला टोंक राज.

.........अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—श्री अवधेश कुमार जैन, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

:—निर्णय—: **दिनांक 18.11.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.03.2021 को समय 04:18 पीएम पर मैसर्स राहुल डिपार्टमेन्टल स्टोर दामोदर गौशाला के सामने जमात रोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री चेतन कुमार जैन पुत्र श्री टीकम चन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री चेतन कुमार जैन ने स्वयं को मैसर्स राहुल डिपार्टमेन्टल स्टोर दामोदर गौशाला के सामने जमात रोड निवाई जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **सूजी श्री गणपति भोग ब्राण्ड (Suji Shree Ganpati Bhaog Brand)** प्लास्टिक के बैग में 500—500 ग्राम के 28 नग आम जनता को विक्रय करने हेतु रखे थे, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री चेतन कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री चेतन कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **सूजी श्री गणपति भोग ब्राण्ड (Suji Shree Ganpati Bhaog Brand)** वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500—500 ग्राम के 4 नग पॉली पैक कुल 2 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

2021

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सूजी श्री गणपति भोग ब्राण्ड (Suji Shree Ganpati Bhaog Brand)** 500–500 ग्राम के 4 नग पॉली पैक कुल 2 किलोग्राम को बराबर–बराबर एक भाग 500 ग्राम को खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2831 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

खाद्य पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री चेतन कुमार जैन श्री टीकम चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स राहुल डिपार्टमेन्टल स्टोर दामोदर गौशाला के सामने जमात रोड निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स श्री गणपति फ्लोर मील ग्राम झिलाई तह. निवाई जिला टोंक का वारन्टी बिल नं./इन्वॉइस नं. 1355 दिनांक 20.03.2021 प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/1000 दिनांक 13.02.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस./495/एक्ट/2021/559 दिनांक 06.04.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **सूजी श्री गणपति भोग ब्राण्ड (Suji Shree Ganpati Bhaog Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(i)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थीगणों को मय रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी।

आवेदक द्वारा प्रबंधक मैसर्स श्री गणपति फ्लोर मील ग्राम झिलाई तह. निवाई जिला टोंक को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से संबंधित दस्तावेज खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र, जीएसटी रजि. व प्रोपरायटर के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रेषित की। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 12.08.2021 को श्री अवधेश कुमार जैन एडवोकेट ने अण्डर टेकिंग देकर वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा एवं दिनांक 08.10.2021 को वकालतनामा पेश किया। आज अभिभाषक उपस्थित हुए एवं अपनी बहस में अप्रार्थीगणों की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सूजी श्री गणपति भोग ब्राण्ड (Suji Shree Ganpati Bhaog Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सूजी श्री गणपति भोग ब्राण्ड (Suji Shree Ganpati Bhaog Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 श्री चेतन कुमार जैन पुत्र श्री टीकम चन्द जैन पर शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 2 श्री कमलेश कुमार मित्तल पुत्र भैरूलाल जैन पर शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 18.11.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीणा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0